न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0–36/2024

अफसाना खातून.....वादिनी

बनाम

महम्मद आजाद एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
23.03.2026	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। हस्तक्षेपक आवेदक की तरफ से एक आवेदन दिनांक 31.01.2025 अंदर आदेश 01 नियम 10(2) व्य0प्र0सं0 के अंतर्गत दाखिल किया गया। हस्तक्षेपक आवेदक का आवेदन दिनांक 31.01.2025 आज दिनांक 23.03.2026 को आदेश हेतु नियत है। हस्तक्षेपक आवेदक के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि वादिनी के द्वारा वाद पत्र के मद सं0–01 में शेख नजर के वंशजों की वंशावली दी गयी है जो अधूरा है तथा अधूरे वंशावली देकर शेख रउफ की पुत्री वी0 फातमा खातुन उर्फ सैतुन्नेशा का नाम न देकर वो इनके वंशजो जो आवेदकगण है, को पक्षकार बनाये वगैर उक्त वाद दाखिल किया गया है। शेख रउफ एक पुत्र शेख ग्यासुद्दीन वो एक पुत्री वी0 फातमा खातुन वो एक पत्नी मु0 जिननतुन नेशा को छोड़कर वफात कर गये वो वादहूँ वी0 जिन्नतुन नेशा ीाी पुत्र वो पुत्री को छोड़कर वफात कर गयी। शेख रउफ के द्वारा छोड़ी गयी भूमि में आवेदकगण 1/3 के हकदार हे लेकिन जान बुझकर वादिनी ने आवेदकगण को पक्षकार नहीं बनाया है। चूंकि यह वाद बंटवारा वाद है इसलिए सभी हिस्सेदारों को पक्षकार बनाना आवश्यक है। वादिनी शेख रउफ की पोती है तथा आवेदकगण शेख रउफ के नातीगण है तथा वादिनी अपनी फूफू वी0 फातमा खातुन के जीवित वारिशानों के हिस्से की भूमि हड़पने के लिए वगैर पक्षकार बनाये यह वाद दाखिल किया है। आवेदकगण इस वाद के आवश्यक पक्षकार है जिनकी अनुपस्थिति में वाद का पूर्ण वो प्रभावी निष्पादन नहीं हो सकता है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि आवेदकगणों को इस वाद में पक्षकार बनाने हेतु आदेश देने कृपा किया जाए। वादिनी द्वारा आवेदकगण के आवेदन का कोई प्रतिउत्तर	

न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0–36/2024

अफसाना खातून.....वादिनी

बनाम

महम्मद आजाद एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 23.03.2026	दाखिल नहीं किया गया लेकिन मौखिक विरोध किया गया एवं आवेदन खारिज होने योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि आवेदकगण की ओर से एक आवेदन दिनांक 31.01.2025 को दाखिल किया गया तथा निवेदन किया गया है कि आवेदकगणों को इस वाद में पक्षकार बनाने हेतु आदेश देने की अनुमति दी जाए। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद से संबंधित सभी व्यक्तियों को वाद का आवश्यक पक्षकार बनाया जाना चाहिए। आवेदन में वर्णित व्यक्ति वाद के आवश्यक पक्षकार प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में आवेदकगण का आवेदन दिनांक 31.01.2025 को स्वीकृत किया जाता है एवं वादीगण को निर्देश दिया जाता है कि विधिक समय–सीमा के अंदर वाद पत्र में आवेदकगण का नाम प्रतिवादी कॉलम में जोड़े। तद्पश्चात वादीगण की ओर से जोड़े गए प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु सम्मन की अपेक्षिकाएँ दाखिल करें। वाद दिनांक 12.05.2026 को अग्रीम कार्रवाई वास्ते नियत किया जाता है। (लेखापित) अवर न्यायाधीश–1 नरकटियागंज	